अपील सूचना अधिकार संख्या 116/2021 (GCMS 2021/191)(आईटीआई पोर्टल नं.212359094466961) हाकम सिंह पुत्र सुरैण सिंह निवासी वीपीओ 12 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर – 86199–14741 बनाम उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

25.04.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलाथी हाकम सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी हाकम सिंह ने उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर से सूचना का अधिकार अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 09.09.2021 से सूचना दिनांक चाही थी, जो उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी हाकम सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 09.09.2021 के द्वारा तहसीलदार (राजस्व), घड़साना से निम्न सूचना चाही थी:

> द नैशनल ग्रीन ट्रब्यूनल नई दिल्ली के फैसले दिनांक 11.02.2021 में 225 ईंट उद्योगो मे चक 15 जीबी में एक ईट भटठा, मनदीप सिंह, रणजीत सिंह एसआरडी जो मौका पर इस भटठे का कन्वजर्न भी नही करवाया हुआ है न ही इस एसआरबी भटठे का पोलीशन लाईसैन्स है एन.जी.आई में पॉलूशन कन्ट्रोल बोर्ड बीकानेर की तरफ से जवाब दावा जा दिनांक 01.02.2021 श्री पेमालाल रेगर द्वारा पेश किया गया था क्रमांक 193 इसे बन्द के लिये नोटिस दिनांक 12.12. 2019 को जारी किया गया था [illegible] भटठे उपखण्ड अधिकारी श्री वजयनगर हल[illegible] है [illegible] सूचना अधिकारी के अन्तर्गत सूच[illegible] एस.आर.डी. ईट भटठा 15 जीबी मौका पर चल रहा है या [illegible] से बन्द किया गया [illegible]ना भिजवाने का कष्ट करे

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:21:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी, घड़साना ने अपने पत्र क्रमांक 5952 दिनांक 30.09.2021 से प्रार्थी का मूल प्रार्थना पत्र तहसीलदार, श्रीविजयानगर को स्थानान्तरित कर दिया और तहसीलदार, श्रीविजयनगर ने अपने पत्र दिनांक 27.10.2021 से प्रार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रार्थन पत्र पेश कर ग्राम 15 जीबी के एसपीडी ईंट भट्टा के बन्द या चालू होने के सम्बन्ध में सूचना चाही गई है। भट्टे क बन्द या चालू होने से सम्बन्धित कोई अभिलेख या लोक दस्तावेज कार्यालय में संधारित नहीं है। सूचना के अभाव में सूचना देय नही है। लोक सूचना अधिकारी का यह दायित्व नहीं कि वह किसी प्रकार की सूचना अलग से संधारित करके दे या प्रश्नात्मक सूचनाओं का जवाब दें।

चूंकि तहसीलदार (राजस्व), घडसाना ने अपीलार्थी को दिनांक 27.10.2021 को उक्तानुसार दिया जा चुका है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है **जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए**। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों का खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही** है। इस **अधिनियम के**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:21:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा **जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी** द्वारा समयावधि में दिनांक 27.10.2021 को उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य हैं।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, घड़साना एवं तहसीलदार (राजस्व), घड़साना को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि प्रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:21:42 IST
Reason: SelfAttested